

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम ज हुकम की त में जारी
23-5-17	वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। पत्रावली दि 30-6-17 को राजस्व कैम्प गंगापूर पर पेश हो। पसकारों को सूचित किया जावे। <u>3</u>	2680 0 7-1-17
30-6-17	<p>पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प गंगापूर पर पेश हुई। तहसीलदार गंगापूर उपस्थित हैं। प्रतिवादी उपस्थित नहीं है। तहसीलदार गंगापूर ने प्रांप्त्र इस आशय का पेश किया है कि भूमि ख० नं० 809/0.58 ग्राम मिर्जापुर (सिवायक न० पा० 90(क) दर्ज हो चुकी है इसलिये धारा 177 R.T.A. के तहत मुकदमों को चलाने का कोई औचित्य नहीं है, यह मुकदमा वर्तमान स्टेज पर ही बकारिज करमा दिया जावे।</p> <p>तहसीलदार गंगापूर द्वारा प्रस्तुत प्रांप्त्र व नकल जमाबंदी सं० 2073 से 2076 का अवलोकन किया। ख० नं० 809/0.58 ग्राम मिर्जापुर नकल जमाबंदी सं० 2073 से 2076 के अनुसार 'सिवायक न० पा० 90(क)' दर्ज है इसलिये अब धारा 177 R.T.A. की कार्यवाही चलाने का कोई औचित्य नहीं है फलस्वरूप प्रस्तुत मामले में कार्यवाही वर्तमान स्तर पर ड्रॉप की जाती है।</p> <p>पत्रावली फैसलेशुमार दीकर नम्बर से कम हो एवं खाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>3</u> उप जिला कलेक्टर गंगापूर सिटी (स० मा०)</p>	